

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19060/2018

जगदीश प्रसाद जांदू पुत्र श्री जोधा राम जाट, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा, पोस्ट- कुली-
खाचरियावास, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य अपने अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. रजिस्ट्रार, पैरा मेडिकल काउंसिल, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, राजस्थान, जयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री बाबू लाल नसुना, एडवोकेट
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री भरत सैनी, एडवोकेट
सुश्री लिपि गर्ग, एडवोकेट
श्री अर्चित बोहरा, एडिशनल जीसी के लिए

**माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश**

17/10/2024

1. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 29.06.2018 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, जयपुर (संक्षिप्त रूप में 'काउंसिल') में पंजीकृत करने से इनकार कर दिया गया था।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने कक्षा 10 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, केरल से रेडियोग्राफी ट्रेड में डिप्लोमा प्राप्त किया, जो जनवरी, 1998 से दिसंबर, 1999 के दौरान पूरा किया गया। याचिकाकर्ता ने राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 2008 (जिसे आगे 'आरपीएमसी अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत पंजीकरण के लिए 24.06.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने डिप्लोमा कोर्स मैट्रिक के बाद किया था, न कि 10+2 के बाद।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2000 में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया था, जबकि अधिनियम वर्ष 2008 में लागू किया गया था। तर्क यह है कि राजस्थान पैरा मेडिकल

काउंसिल विनियम, 2014 (इसके बाद 'आरपीएमसी विनियम') के विनियम 42 के तहत आरपीएमसी अधिनियम, 2008 के लागू होने से पहले डिप्लोमा प्राप्त करने वाले व्यक्ति पंजीकरण के लिए पात्र थे।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विनियम 51 के अनुसार पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 थी, जबकि याचिकाकर्ता ने 10 वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया था।

5. मामले में आगे बढ़ने से पहले, आरपीएमसी विनियमों के विनियम 42 और 51 नीचे पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं:-

“42. पंजीकरण हेतु पात्रता:- निम्नलिखित व्यक्ति जो राजस्थान के अधिवासित हैं, पंजीकरण हेतु पात्र होंगे,-

(i) जिसने किसी सरकारी निकाय या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त निजी निकाय से पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त की हो, जिसने इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले पाठ्यक्रम चलाया हो और डिप्लोमा और डिग्री प्रदान की हो;

(ii) जिसने राजस्थान पैरा-मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो;

(iii) जिसने राजस्थान के राज्य क्षेत्र के बाहर किसी भी संस्थान/सरकारी निकाय से पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, जो संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त हो, और यदि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पैरामेडिकल परिषद के साथ पंजीकृत हो, तो संबंधित राज्य परिषद पंजीकरण के रद्दीकरण प्रमाण पत्र और परिषद की एनओसी के साथ आवेदन किया हो;

(iv) जिसने भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर किसी संस्थान से पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, जो संबंधित देश की सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त हो और भारत सरकार द्वारा सत्यापित हो;”

“51. प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड:- (1) पैरा-मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित) के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम कुल अंक 40 प्रतिशत होंगे।

(2) प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु उस वर्ष की 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष होगी जिसमें प्रवेश चाहा जा रहा है।”

6. आरपीएमसी अधिनियम 05.08.2008 को लागू हुआ।

7. विनियम 51 पैरा मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है और यह आरपीएमसी अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाले प्रवेशों पर लागू होगा। विनियम 51 पूर्वव्यापी रूप

से लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यह आरपीएमसी अधिनियम के लागू होने से पहले से स्वीकृत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को रद्द नहीं करेगा। 05.08.2008 से पहले डिप्लोमा प्राप्त करने वाले डिप्लोमा धारक विनियम 42 द्वारा शासित होंगे, जो पंजीकरण की शर्तें प्रदान करता है।

8. पंजीकरण के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को विनियमन 51 पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था, जो आरपीएमसी अधिनियम के लागू होने के बाद मेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है और विनियमन 42 के अनुसार प्रार्थना पर विचार किए बिना। परिणामस्वरूप, विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को वापस भेज दिया गया है।

9. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/77

रिपोर्ट योग्य: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate